राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : अनिस/डीएम/रात्रि चोपाल/2018/281 दिनांक : 01–05–2018

संशोधित आदेश

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान–जयपुर के आदेश क्रमांक प.3 (8) प्रसु/टाईम्स/2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 के क्रम में आम जन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधोहस्ताक्षरकर्ता के माह **मई, 2018** में दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई एंव रात्रि चौपाल का संशोधित कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा :–

दिनांक/वार	नाम उपखण्ड	नाम ग्राम पंचायत व पंचायत समिति/वार्ड संख्या/नगर निगम	दौरा/निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम
01–05–2018, मंगलवार	वल्लभनगर	तारावट	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
04–05–2018, शुक्रवार	बड़गांव	मदार	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
08–05–2018, मंगलवार	सलुम्बर	चिबोड़ा	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
11–05–2018, शुक्रवार	बड़गांव	लखावली	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
15–05–2018, मंगलवार	ऋषभदेव	नला पीपला	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
18–05–2018, शुक्रवार	गोगुन्दा	करदा	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
22–05–2018, मंगलवार	सराड़ा	परसाद	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
25–05–2018, शुक्रवार	मावली	बिजनवास	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
29–05–2018, मंगलवार	झाड़ोल	गरणवास	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल

- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल में दिन में प्रातः 10.00 बजे से ग्राम पंचायत/वार्ड का निरीक्षण किया जायेगा, तत्पश्चात् सांय 07.00 बजे से प्रत्येक मंगलवार को रात्रि चौपाल प्रारम्भ की जायेगी। प्रत्येक शुक्रवार को सांय 06.00 बजे से जनसुनवाई प्रारम्भ की जायेगी।
- राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर डी.डी.जी. 01 से डी.डी.जी. 07 तक के प्रपत्र व जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे, रात्रि चौपाल ऑनलाईन उपलब्ध करवा दिये गये है। सम्बन्धित Adopters अधिकारी उक्त प्रपत्रों को जनसुनवाई निरीक्षण, दौरे के पश्चात् उसी दिन ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करेगें।
- सम्पूर्ण रात्रि चौपाल/जनसुनवाई कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर होगें तथा सहायक प्रभारी सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपायुक्त, नगर निगम उदयपुर होगें। प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में दिये गये निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट एक माह में भिजवाना सुनिश्चित करेगें।
- उपखण्ड अधिकारी/आयुक्त नगर निगम/सचिव, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर अपने स्तर से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को चौपाल/जन सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निवेदन करेगें।

- रात्रि चौपाल/जन सुनवाई में निम्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (जिला स्तरीय अधिकारी की अनुपस्थिति में) प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर मौके पर पंचायत/वार्ड की समस्त विभागीय योजनाओं के कियान्वयन का निरीक्षण व समस्याओं का समाधान करेगें तथा लापरवाह अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगें तथा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र भरकर रात्रि चौपाल / जनसुनवाई में उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगें :–

    2. जलदाय विभाग 2. विद्युत विभाग 3. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज 4. राजस्व 5. शिक्षा विभाग 6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 7. पशुपालन विभाग 8. रसद विभाग 9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग 10. महिला एंव बाल विकास विभाग 11. सार्वजनिक निर्माण विभाग 12. कृषि विभाग 13. कोषाधिकारी (ग्रामीण)

- सभी विभाग रात्रि चौपाल/जनसुनवाई के निर्धारित दिवस पर प्रातः 10.00 बजे सम्बन्धित पंचायत/वार्ड में उपस्थित होकर समस्याओं का चिन्हीकरण करेगें तथा उनका निस्तारण भी करेगें।
- पटवारी, ग्राम सेवक तथा वार्ड प्रभारी विभिन्न व्यक्तिगत लाभ के आवेदन पत्र भरवायेगें, उनकी पूर्ति भी करायेगें जिससे रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में स्वीकृति जारी की जा सके।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में प्राप्त जन समस्याओं को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उनका समाधान मौके पर ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- रात्रि चौपाल/जन सुनवाई के दो दिन पूर्व सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/आयुक्त नगर निगम/सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर यह सुनिश्चित करेगें कि उस पंचायत/वार्ड की क्या–क्या परिसम्पत्तियां है, उसकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय पर फैक्स द्वारा भिजवायेगें तथा गांव की रूपरेखा मौके पर ही तैयार रखेगें।
- उस ग्राम की ग्राम पंचायत क्षैत्र/वार्ड में नियुक्त ग्राम सेवक/पटवारी/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/महिला सुपरवाईजर/ए.एन.एम. एंव वहां के प्रधानाध्यापक अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में ब्यौरा चौपाल/जन सुनवाई प्रस्तुत करेगें।
- जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं किया जा सकता उनको पंजीबद्ध करके सम्बन्धित विभाग को कम से कम समय में निस्तारण करने हेतु पाबन्द किया जावे। इसकी सूचना चौपाल प्रभारी रखेगें।
- प्रत्येक समस्या/प्रार्थना पत्र को पंचायत समिति स्तर/नगर निगम/नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के सम्पर्क समाधान पर चौपाल के अगले दिन दर्ज किया जावेगा।
- निरीक्षण/जनसुनवाई/रात्रि चौपाल के समय प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को दर्ज कर निर्धारित प्रारूप में परिवादी को पावती देने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कलस्टर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी/आयुक्त, नगर निगम/सचिव, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर) की होगी।
- प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल/जन सुनवाई कार्यक्रम के अन्त में पटवारी/ग्राम सेवक/वार्ड प्रभारी से लिखित मे यह प्रमाण पत्र लेगें कि उक्त ग्राम/ग्राम पंचायत/वार्ड में राजकीय योजनाओं से लाभान्वित होने से कोई भी व्यक्ति शेष नहीं है।
- निरीक्षण एंव रात्रि चौपाल/जन सुनवाई की समस्त प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में तैयार की जा कर इस कार्यालय में अगले कार्यदिवस को प्रभारी अधिकारी भेजेगें।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर

क्रमांक : अनिस/डीएम/रात्रि चोपाल/2018/281 दिनांक : 01-05-2018

प्रतिलिपि माननीय जन प्रतिनिधिगण

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, गृह एवं न्याय, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, जेल, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, संसदीय मामलात एंव निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. श्री अर्जुनलाल मीणा, माननीय सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र उदयपुर, 6–ए–34, पानेरियों की मादड़ी, सेक्टर 9, उदयपुर।
4. श्री सी.पी. जोशी माननीय सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र चितौड़गढ़।
5. श्री फूल सिंह मीणा, माननीय विधायक महोदय (विधानसभा–उदयपुर ग्रामीण), रेखा जनरल स्टोर, रोड़ नं. 3, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर।
6. श्री प्रताप लाल गमेती, माननीय विधायक महोदय (विधानसभा--गोगुन्दा)।
7. श्री हीरालाल दरागी, माननीय विधायक महोदय (विधानसभा–झाड़ोल)।
8. श्री नानालाल अहारी, माननीय विधायक महोदय (विधानसभा–खेरवाड़ा), भैरव कॉलोनी, ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
9. श्री दलीचन्द डांगी, माननीय विधायक महोदय (विधानसभा–मावली)।
10. श्री रणधीर सिंह भीण्डर, माननीय विधायक महोदय (विधानसभा–वल्लभनगर)।
11. श्री अमृतलाल मीणा, माननीय विधायक महोदय (विधानसभा–सलूम्बर), गांव लालपुरिया, सेमारी, जिला उदयपुर।।
12. श्री गोतमलाल मीणा, माननीय विधायक महोदय (विधानसभा–लसाड़िया)।
13. श्री शान्तिलाल मेघवाल, माननीय जिला प्रमुख महोदय, गांव बम्बोरा, जिला उदयपुर।
14. महापौर/उप महापौर महोदय, नगर निगम उदयपुर।
15. प्रधान महोदय/महोदया पंचायत समिति गिर्वा, कुराबड, बड़गांव, गोगुन्दा, सायरा, मावली, भीण्डर, लसाड़िया, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर, झल्लारा, सराड़ा, सेमारी, झाड़ोल, फलासिया, कोटड़ा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1 प्रमुख सचिव महोदय, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
3 प्रमुख शासन सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान जयपुर।
4 प्रमुख शासन सचिव महोदय, वन एंव पर्यावरण विभाग, (जिला प्रभारी सचिव महोदय) राजस्थान जयपुर।
5 संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर।
6 पुलिस महानिरीक्षक महोदय, उदयपुर।
7 जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।
8 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन/शहर), उदयपुर।
9 आयुक्त नगर निगम, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार उदयपुर नगर निगम के वार्डों में जनसुनवाई स्थल का चयन कर तथा जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सम्बन्धित समस्त विभाग/कार्यालयों के अधिकारियों व सम्बन्धित वार्ड पार्षद की उपस्थिति एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर पर आदेश जारी कर, एक प्रति इस कार्यालय को भिजवावें।
10 समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण
   1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
   2 जिला रसद अधिकारी प्रथम/द्वितीय उदयपुर।
   3 उप वन संरक्षक, उत्तर/उदयपुर।
   4 परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
   5 कोषाधिकारी ग्रामीण उदयपुर।
   6 अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
   7 अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
   8 अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमि., उदयपुर।
   9 अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर।
   10 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम/द्वितीय) उदयपुर।
   11 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) उदयपुर।
   12 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर।
   13 उप निदेशक, पशुपालन विभाग उदयपुर।
   14 उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर।
   15 उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उदयपुर।
   16 उप निदेशक, कृषि विभाग, उदयपुर।
   17 संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर।
   18 प्रभारी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क कार्यालय हाजा, उदयपुर।
11 सम्बन्धित निरीक्षण अधिकारी श्री. ....
12 उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, बड़गांव, गोगुन्दा, मावली, वल्लभनगर, लसाड़िया, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर, सराड़ा, झाड़ोल, कोटड़ा।
13 तहसीलदार गिर्वा, बड़गांव, गोगुन्दा, मावली, वल्लभनगर, लसाड़िया, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर, सराड़ा, झाड़ोल, कोटड़ा, सेमारी।
14 विकास अधिकारी गिर्वा, कुराबड, बड़गांव, गोगुन्दा, सायरा, मावली, भीण्डर, लसाड़िया, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर, झल्लारा, सराड़ा, सेमारी, झाड़ोल, फलासिया, कोटड़ा।
15 उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करावें।

जिला कलक्टर
उदयपुर